न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
180/21	25.11.21	17-1-22

उनवान

1. सुरेन्द्रसिहं पुत्र स्व0 श्री रतीराम
2. हरिसिंह पुत्र स्व0 श्री रतीराम
3. देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री रतीराम
4. रेणु पुत्री स्व0 राजेन्द्रसिंह पौत्री रतीराम जाति जाट निवासी ग्राम जाटका तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।

:– वादीगणः–

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर।
2. ईदू पुत्र हुसैना
3. एवज पुत्र हुसैना कोम कसाई निवासी जाटका तहसील किशनगढबास

:–प्रतिवादीगण :–

दावा इश्तकराहक मय दुरूस्ती

उपस्थितिः– 1.श्री सन्तोष वकील वादी की ओर से।
2.प्रतिवादी की ओर से जवाब सरकार प्रति0 2,3 उपस्थित नही

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

वकील वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी ख0न0 साबिक 703 मिन रकबा 7 बीघा जिसके हाल ख0न0 830 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम जाटका तहसील किशनगढबास बने है। जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। नकल मिलान क्षेत्रफल सलग्न है। अराजी पर वादीगण से पूर्व हमारे चाचा हरलाल पुत्र कल्लूराम कौम जाट निवासी ग्राम जाटका काबिज काश्तकार रहे जिनके गुजरने के बाद हम वादीगण काश्त कर रहे है। चूकि हरलाल लावल्द बिला औरत फौत हुये है उनके विधिक वारिसान वादीगण ही है फिर भी श्री हरलाल जी ने अपने अपने जीवनकाल में अपनी चल वो अचल सम्पती की वसीयत जर्ये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 18.07.1984 को वादीगण 1 लगा0 03 व वादीगण सं0 4 के पिता राजेन्द्रसिंह के हक में करादी थी। नकल वसीयत संलग्न है। श्री हरलाल जी द्वारा अपनी समस्त चल वो अचल संपति की वसीयत वादीगण सं0 1 लगा0 3 व वादीया सं0 4 के पिता राजेन्द्र के हकमे की गई थीं चूकि राजेन्द्र की मृत्युं हो चकी है। जिनकी एक मात्र वारिस वादीया सं0 4 रेणु है। इसलिये उसे वादीगण्ण की जदमें पक्षकार बनाया गया है। हरलाल का स्वर्गवास दिनांक 21.12.1994 को होगया तबसे आराजी जेर वाद पर वादीगण समभाग में काबिज वा दखील है श्री हरलाल जी की अन्य चल वो अचल सम्पति पर वादीगण काबिज है। हरलाल जी की दीगर आराजीयात का नामानतकरण वादीगणन के नाम दरज वो स्वीकार हो चुका है। उक्त आराजी मृतक हरलाल द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अनौपचारिक रूप से खरीद की हुई है। जिनका अमल सम्वत 2029 की जमाबंदी में ता हाल तक अमल है तथा खसरा गिरदावरी में लगातार उनके नाम काश्त का अमल हो रहा है। जमाबंदी में श्री हरलाल का काश्तकार दर्ज किया गया है ताथा ईदू ऐवज पुत्रान हुसैना कौम कसाई पटटेदार निष्क्रान्त दर्ज है। जबकि वादीगण की जानकारी में इस नाम का कोई शख्स ग्राम जाटका तहसील किशनगढबास में नही है। तथा आराजी को हरलाल द्वारा काश्त करते हुए भी राजस्व कर्मचारियों ने बेजा रूप से निष्क्रांत दर्ज कर दिया जो कतई गलत है। आराजी में बोरिग किया हुआ है मकान निर्माण किया हुआ है। गलत अंकन की जानकारी होने पर तहसीलदार साहब किशनगढबास से सम्पर्क कर अमल दुरूस्त कराने का निवेदन किया दीगर व्यक्तियो का आवंटन करने की दमकी दी। इसलिए वादीगण को दावा इश्तकाराहक मशहरे इसके कि साबिक आराजी ख0न0 703 रकबा 7 बीघा जिसका हाल ख0न0 830 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम जाटका तहसील किशनगढबास के वादीगण समभाग में काबिज काश्तकार है जर्ये कब्जा मुखालफाना खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। खातेदार घोषित किया जावे। विकल्प में उक्त आराजी निष्क्रांत मानी जाती है। तो वादीगणन से कीमत कर्जा लिया जाकर खातेदारी घोषित कर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल कराने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थनाा है कि वादी वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री किया जावें।

अ– डिक्री इजराय इश्तकाराहक पारित की जाकर घोषित किया जावे कि वादीगण आराजी हाल ख0न0 830 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम जाटका तहसील किशनगढबास के समभाग में खातेदार है ओर इसी कदर हाल जमाबंदी मे ईदू ऐवज का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण के नाम खातेदारी का अंकन राजस्व रिकार्ड में कराया जावे।

ब– विकल्प में यदि आराजी निष्क्रांत(कस्टोडियन) मानी जाती है तो वादीगण से कीमत कर्जा जमा कराया जाकर सनद हकूक खातेदारी जारी कर वादीगण के नाम खातेदारी का अमल कराया जावे।

स– अन्य सहायता अता फरमाई जावे कृपा होगी।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । तथा प्रतिवादी नं0 2 व 3 के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम जाटका में वास नही करते। तथा प्रतिवादी नं0 1 ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया तथा निर्णय श्रीमान न्यायालय में किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादीगण 2 व 3 की तामील जरिये अखबार करवाई लेकिन कोई उपस्थित नही हुआ। जवाब सरकार प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की गई तथा तहसीलदार से वादीगण की कब्जा काश्त एवं मौका रिपोर्ट प्राप्त की तथा जिसमें तहसीलदार ने वादीगण की काश्त एवं मोके पर कब्जा बताया। । पत्रावली वास्तें साक्ष्य वादी नियुक्त की गई वादी ने गवाहान के शपथ पत्र पीडब्लू –1 स्वयं का, पीडब्लू–2 परभाती पुत्र रिसाल, पीडब्लू–3 अतरसिंह पुत्र बल्लाराम पेश किये तथा गवाहान ने वादीगण का ही कब्जा काश्त बताया। तथा दस्तावेजात साक्ष्य में प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी हाल 2076 , प्रदर्श–2 बिजली बिल कैनक्शन रसीद, प्रदर्श–3 बिजली रसीद बिल, प्रदर्श–4ए वसीयत की फोटो कोपी जो मृतक हरलाल की है। तथा प्रदर्श 4 असल वसीयत जो मै साथ लाया हूं प्रदर्श–5ए मृत्यु प्रमाण पत्र हरलाल सिंह फोटो कोपी तथा प्रदर्श 6ए मृत्यू प्रमाण पत्र राजेन्द्रसिह फोटो कोपी है, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–7, जमाबंदी संवत 2029 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–8 जमाबंदी 2029 प्रमाणित प्रति, पदर्श–9 जमाबंदी संवत 2032 किता–2 प्रदर्श–10 जमाबंदी सवत 2036 प्रदर्श–11 जमाबदी संवत 2041, प्रदर्श–12 जमाबंदी 2065–68, प्रदर्श–13 जमाबंदी सवत 2049, पद्रर्श–14 जमाबंदी सवत 2053, प्रदर्श–15 किता–, प्रदर्श–16 जमाबंदी सवत 2061,

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

तनकी–3

तनकी न0 1 व 2 में वादीगण की कब्जा काश्त साबित हुई तथा जो अमल ईदू, एवज पुत्रान हुसैना कौम कसाई पटटेदार किया हुआ है उसे कलमजन किया जाकर वादीगण नियमानुसार राशि राज कोष में जमा कराने पर खातेदारी दिये जाना सिद्व हुआ है। अतः यह तनकी भी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार किये गये विवेचनानुसार वादीगण का वाद भली भांति साबित होता है वाद डिकी किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी ख0न0 830 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम जाटका तहसील किशनगढबास को काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है जमाबंदी मे ईदू, एवज पुत्रान हुसैना का नाम अमल हो रहा है उसे कलमजन किया जाता है। वादीगण बशर्त 1250 रूपये प्रतिबीघा कीमत भूमि मय ब्याज व नियमितिकरण शुल्क 2000 रू. प्रतिबीघा तथा 1000रू. प्रतिबीघा की दर से शास्ति जमा कोष कराने पर खातेदारी सनद जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है पर्चा डिकी जारी हो ।खर्चा वादीगण स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

दावा सं.
180/21

प्रवेश तिथि
25.11.21

निर्णय तिथि
17-1-22

उनवान

1. सुरेन्द्रसिहं पुत्र स्व0 श्री रतीराम
2. हरिसिंह पुत्र स्व0 श्री रतीराम
3. देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री रतीराम
4. रेणु पुत्री स्व0 राजेन्द्रसिंह पौत्री रतीराम जाति जाट निवासी ग्राम जाटका तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान।

:– वादीगणः–

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास जिला अलवर।
2. ईदू पुत्र हुसैना
3. एवज पुत्र हुसैना कोम कसाई निवासी जाटका तहसील किशनगढबास

:–प्रतिवादीगण :–

दावा इश्तकराहक मय दुरूस्ती

उपस्थितिः– 1.श्री सन्तोष वकील वादी की ओर से।
2.प्रतिवादी की ओर से जवाब सरकार प्रति0 2,3 उपस्थित नही

पर्चा डिक्री

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी ख0न0 830 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम जाटका तहसील किशनगढबास को काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है जमाबंदी मे ईदू, एवज पुत्रान हुसैना का नाम अमल हो रहा है उसे कलमजन किया जाता है। वादीगण बशर्त 1250 रूपये प्रतिबीघा कीमत भूमि मय ब्याज व नियमितिकरण शुल्क 2000 रू. प्रतिबीघा तथा 1000रू. प्रतिबीघा की दर से शास्ति जमा कोष कराने पर खातेदारी सनद जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा वादीगण स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)